

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 182/2009

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र भैरू, जाति-जाट, निवासी-ग्राम झॉई, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर (मृतक)।
  - 1/1 ज्याना पत्नी स्व० जगन्नाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम झॉई, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
  - 1/2 झूंथाराम पुत्र स्व० जगन्नाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम झॉई, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
  - 1/3 कानाराम पुत्र स्व० जगन्नाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम झॉई, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
  - 1/4 श्योकरण पुत्र स्व० जगन्नाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम झॉई, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
  - 1/5 बद्दीनारायण पुत्र स्व० जगन्नाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम झॉई, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
  - 1/6 रामनारायण पुत्र स्व० जगन्नाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम झॉई, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
  - 1/7 रामेश्वर पुत्र स्व० जगन्नाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम झॉई, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
  - 1/8 सीताराम पुत्र स्व० जगन्नाथ, जाति-जाट, निवासी-ग्राम झॉई, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
  - 1/9 स्याणी पत्नी बद्दी, पुत्री स्व० जगन्नाथ, निवासी-ग्राम सदरामपुरा, तहसील-चाकसू, जिला-जयपुर।
  - 1/10 तीजा पत्नी लाला, पुत्री स्व० जगन्नाथ, निवासी-ग्राम हाथोज, तहसील-जयपुर, जिला-जयपुर।
  - 1/11 कमली पत्नी श्रवण, पुत्री स्व० जगन्नाथ, निवासी-ग्राम हाथोज, तहसील-जयपुर, जिला-जयपुर।

अप्रार्थीगण

( राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-  
राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान  
काश्तकारी काश्तकारी अधिनियम, 1955 )

उपरिस्थिति:-



श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

अप्रार्थीगण असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

*(Signature)*

सत्य - प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)  
जयपुर

केवल राजकीय/न्यायालय के उद्देश्य  
के लिए निशुल्क न्याय प्रतिलिपि

हिसीलदार, सांगानेर द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 में ग्राम झाँई की आराजी खसरा नम्बर 24/307 रकबा 1 बीधा 10 बिस्वा मकबूजा बिना लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 24/307 रकबा 1 बीधा 10 बिस्वा जगन्नाथ पुत्र श्री भैरू, जाति-जाट हि0 2/3 अर्जुन पुत्र भैरू जाति-बलाई हि0 1/3 के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-70 जगन्नाथ पुत्र श्री भैरू, जाति-जाट हि0 2/3 अर्जुन पुत्र भैरू जाति-बलाई हि0 1/3 के नाम गैर-खातेदारी दर्ज होकर जमाबन्दी सम्वत् 2037-2040 में जगन्नाथ पुत्र श्री भैरू, जाति-जाट हि0 2/3 अर्जुन पुत्र भैरू जाति-बलाई हि0 1/3 के नाम दर्ज है और वर्तमान में हाल खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 104/723 रकबा 0.21 है0, 77 रकबा 0.09 है0, 83/722 रकबा 0.09 है0, 217/725 रकबा 0.07 दर्ज होकर खातेदारी में इन्द्राज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत्-2015-2034 में दर्ज गैर-मुमकीन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिना लगानी गैर-मुमकीन नला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 में ग्राम झाँई की आराजी खसरा नम्बर 24/307 रकबा 1 बीधा 10 बिस्वा मकबूजा बिना लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकिन नला दर्ज है, जो जगन्नाथ पुत्र श्री भैरू, जाति-जाट हि0 2/3 अर्जुन पुत्र भैरू जाति-बलाई हि0 1/3 के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-70 आवंटियों के नाम गैर-खातेदारी दर्ज हैं और भू-प्रबन्ध के पश्चात् नये खसरा नम्बर 104/723 रकबा 0.21 है0, 77 रकबा 0.09 है0, 83/722 रकबा 0.09 है0, 217/725 रकबा 0.07 दर्ज राजस्व अभिलेख हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2015-2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी,



*(Handwritten signature)*

सत्य - प्रतिलिपि

*(Handwritten mark)*

अति. कलक्टर (द्वितीय)  
जयपुर

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 24/307 रकबा 1 बीधा 10 बिस्वा वाके ग्राम झॉई दिनांक 03.05.1978 को आवंटन किया गया है। जिसका उल्लेख नामान्तरकरण सं0-70 के कॉलम सं0-14 पर हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्बत् 2015-2034 में यह आराजी गैर-मुमकिन नला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे। आवंटन दिनांक 03.05.1978 को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकिन नला की आराजी को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम झॉई की आराजी खसरा नम्बर 24/307 रकबा 1 बीधा 10 बिस्वा आवंटित की गई जिसके हाल खसरा नम्बर 104/723 रकबा 0.21 है0, 77 रकबा 0.09 है0, 83/722 रकबा 0.09 है0 217/725 रकबा 0.07 हैं, को वापिस मकबूजा बिना लगानी गैर-मुमकिन नला दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।



*(Handwritten signature)*

**सत्य - प्रवृत्ति**

*(Handwritten initials)*

अति. कलक्टर (द्वितीय)  
जयपुर

इमान विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 ग्राम झॉई की आराजी खसरा नम्बर 24/307 रकबा 1 बीधा 10 बिस्वा मकबूजा बिना लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकिन नला दर्ज है, इसके पश्चात् आराजी ख0न0 24/307 रकबा 1 बीधा 10 बिस्वा जगन्नाथ पुत्र श्री भैरू, जाति-जाट हि0 2/3 अर्जुन पुत्र भैरू जाति-बलाई हि0 1/3 के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-70 जगन्नाथ पुत्र श्री भैरू, जाति-जाट हि0 2/3 अर्जुन पुत्र भैरू जाति-बलाई हि0 1/3 के नाम गैर-खातेदारी तथा भू-प्रबन्ध होने के पश्चात् आवंटित खसरे के नये नम्बर 104/723 रकबा 0.21 है0, 77 रकबा 0.09 है0, 83/722 रकबा 0.09 है0, 217/725 रकबा 0.07 है0 दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2015-2034 में दर्ज गैर-मुमकिन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी. बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.03.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन तिथि को राजस्व अभिलेख में गैर-मुमकिन नला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2015-2034 से होती है और इस आराजी का आवंटन जगन्नाथ पुत्र श्री भैरू, जाति-जाट हि0 2/3 अर्जुन पुत्र भैरू जाति-बलाई हि0 1/3 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0-70 ग्राम-झॉई से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिना लगानी मकबूजा गैर-मुमकीन नला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नहीं दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकीन नला भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय आजा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं।



सत्य - प्रतिलिपि

अति. कलकत्ता (द्वितीय)

राजकीय/न्यायिक  
निर्णय


नियमानुसार गैर-मुमकिन नला भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई है/ली गई है जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ है तो यह प्रभाव शून्य है। शून्य आधारित आदेश के विरुद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, सांगानेर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 आराजी ख0नं0 24/307 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आवंटित भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 104/723 रकबा 0.21 है0, 77 रकबा 0.09 है0, 83/722 रकबा 0.09 है0, 217/725 रकबा 0.07 है0 निजी खातेदारी में दर्ज हैं, को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस बिना लगानी मकबूजा गैर-मुमकीन नला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 23.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.10.2017 को सुनाया गया।



सत्य - प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)  
जयपुर

  
(सुनील भाटी)  
अति. कलक्टर (द्वितीय)  
जयपुर